

पोस्टल बैलट की सूचना
NOTICE OF POSTAL BALLOT

आरंभ की तिथि / COMMENCES ON : सोमवार, 7 जनवरी, 2019 / Monday, January 7, 2019
अंतिम तिथि / ENDS ON : मंगलवार, 5 फ़रवरी, 2019 / Tuesday, February 5, 2019



युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
UNITED BANK OF INDIA

प्रधान कार्यालय: युनाइटेड टॉवर
HEAD OFFICE : UNITED TOWER
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700001
11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata- 700001

सामग्री

	पृष्ठा संख्या
नोटिस	1-10

CONTENTS

	Page No.
Notice.....	11-20



युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया / United Bank of India

प्रधान कार्यालय: 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता - 700001 / Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata- 700001

दूरभाष / Telephone: (033) 2248 7471 फ़ैक्स / Fax: (033) 2231 1704

वेबसाइट / Website: www.unitedbankofindia.com

पोस्टल बैलेट की सूचना

प्रिय शेयरधारक(को),

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यह सूचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित, और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (जिसमें कोई सांविधिक संशोधन या किसी भी समय में लागू संशोधन या पुर्नधिनियमन शामिल है) के नियम 22 के अनुसार युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की सहमति विशेष संकल्प द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-वोटिंग) सहित पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्राप्त करने हेतु जारी की गयी है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प और स्पष्टीकरण वक्तव्य, भौतिक तथ्यों और इसका कारण बताते हुए यहां संलग्न किया जाता है।

बैंक ने मेसर्स एस एन अनंथसुब्रमनियण एंड कं, कंपनी सचिव, थाने, के श्री एस.एन.अनंथसुब्रमनियण (सीओपी सं. 1774) या उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती मालती कुमार (सीओपी सं. 10890) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संचालन हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है।

शेयरहोल्डर जो अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से करने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सूचना एवं पोस्टल बैलेट फार्म में मुद्रित अनुदेशों एवं टिप्पणियों को ध्यान से पढ़ें एवं पूरी तरह से भरे गए पोस्टल बैलेट फार्म संलग्न व्यवसाय उत्तर लिफाफा में संवीक्षक को संबोधित करते हुए कार्यकारी घंटे के समाप्ति के पूर्व, जो कि 5.00 अपराह्न है, मंगलवार, 5 फरवरी, 2019 के पूर्व वापस करें। बैंक उसके लिए डाक व्यय वहन करेगा। शेयरधारक अपने खर्च पर भौतिक पोस्टल बैलेट फॉर्म भेजने के किसी भी अन्य तरीके का चयन कर सकते हैं।

बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विशेष प्रस्ताव पर मतदान के लिए ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है।

ई-वोटिंग सुविधा का चयन करने वाले इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट सूचना के टिप्पणियों और ई-वोटिंग के लिए उसके अंतर्गत दिए गए अनुदेशों को पढ़ें। इस सूचना में पोस्टल बैलेट के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त वोट भी शामिल होगा।

संवीक्षक पोस्टल बैलेट की संवीक्षा पूरी करने के बाद प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ) या निदेशक मंडल द्वारा यथा प्राधिकृत बैंक के किसी अन्य निदेशक /अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और पोस्टल बैलेट द्वारा वोटिंग का परिणाम गुरुवार, 7 फरवरी, 2019 या उसके पूर्व घोषित किया जायेगा और स्टॉक एक्सचेंजों, बैंक के वेबसाइट www.unitedbankofindia.com पर एवं सीडीएसएल पर सूचित किया जाएगा।

पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान सोमवार, 7 जनवरी, 2019 से शुरू होगा और मंगलवार, 5 फरवरी, 2019 पर समाप्त होगा। विधिवत रूप से भरे गए पोस्टल बैलेट फॉर्म संवीक्षक के पास 05:00 बजे अपराह्न के पूर्व मंगलवार, 5 फरवरी, 2019 तक पात्रता हेतु विचारार्थ पहुंच जाना चाहिए। उपरोक्त समय सीमा के बाद प्राप्त पोस्टल बैलेट को खारिज समझा जाएगा। ई-वोटिंग पोर्टल को सीडीएसएल द्वारा मंगलवार, 5 फरवरी, 2019 को 05:00 बजे अपराह्न अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

विशेष संकल्प, यदि आवश्यक बहुमत से पारित किया गया, मंगलवार, 5 फरवरी, 2019 को पारित किया गया माना जायेगा, जो कि पूर्णरूप से भरे गए पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग की प्राप्ति के लिए बैंक द्वारा तय की गई अंतिम तिथि है।



मद संख्या. 1

प्रीमियम सहित इस तरह के मूल्य पर सृजन, प्रस्ताव, जारी एवं आबंटन करने हेतु अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक (रू.दस मात्र) के इक्विटी शेयरों की इतनी संख्या, यदि कोई हो, तो सेबी के विनियमन (जारी पूंजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (सेबी आई सी डी आर विनियम) के अनुसार भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति को तरजीह के आधार पर रू. 2,159 करोड़ कुल से अधिक नहीं, विशेष संकल्प द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाता है, तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करें -

“संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (“अधिनियम”), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार लागू प्रावधानों के अधीन एवं समय-समय पर संशोधित, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2010 (“बैंक विनियम”), (सेबी जारी पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2018 (“सेबी आईसीडीआर विनियम”), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता), विनियम, 2015 (“सेबी सूचीबद्धता विनियम”) और इसमें कोई संशोधन या पुर्न-अधिनियमन, वित्त मंत्रालय का पत्र F. No. 7/38/2014-BOA दिनांक 26 दिसम्बर, 2018, और 31 अक्टूबर, 2018 और 14 दिसम्बर, 2018 को निदेशक मंडल की बैठक में हुए अनुमोदन और भारत सरकार (जीओआइ), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, और / या ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो इस संबंध में आवश्यक और उपयोज्य हो सकते हैं, इस तरह के अनुमोदनों, स्वीकृतियों, संस्वीकृतियों और मानदंडों और बशर्ते इस तरह के नियमों और शर्तों और / या ऐसे अधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदनों की मंजूरी देते समय कोई संशोधन, यथा निर्धारित और जिसके संबंध में बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो सकता है (“निदेशक मंडल” इस संबंध में गठित या गठित की जाने वाली कोई “समिति” शामिल करेगा) इस तरह के अन्य अधिनियमों, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, निदेशों का समय-समय पर यथा प्रयोज्य हो सकता है या इस तरह का कोई संशोधन या पुर्नअधिनियमन या उसका पुनः जारी किया जाना, बैंक के शेयरधारकों की सहमति से एतद द्वारा निदेशक मंडल के प्रस्ताव एवं भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति को आबंटन सृजन हेतु इस तरह के मूल्यों पर प्रत्येक को 10/- रुपये के इक्विटी शेयरों की संख्या सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के विनियमन 164 के अनुसार नकदी के लिए अधिमानी आधार पर, प्रीमियम सहित रू. 2,159 करोड़ (रुपये दो हजार एक सौ उनसठ करोड़) से अधिक नहीं, नकदी के लिए अधिमानी आधार पर, प्रीमियम सहित निर्धारित किया जा सकता है।

इसके आगे संकल्प किया जाता है कि सेबी सीआईडीआर विनियमन के अध्याय V के अंतर्गत विनियमन 161 की शर्तों के अनुसार निर्गम कीमत के निर्धारण की अद्यतन तिथि शुक्रवार, 4 जनवरी, 2019 है।

इसके आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले ईक्विटी शेयर सभी मामलों में बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयर के साथ शामिल लाभांश के समरूप होंगे और दोनों नये जारी एवं निवेशक (कों) द्वारा धारित वर्तमान शेयर सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के विनियमन 167 के अंतर्गत यथा निर्धारित बशर्ते लॉक-इन आवश्यकता के अनुरूप होंगे और नये जारी ईक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज के उसी सूची में सूचीबद्ध किया जायेगा जहां बैंक के वर्तमान शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं।

इसके आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गठित या गठित होने वाली बोर्ड/समिति एतद द्वारा इस तरह के सभी कार्यों, व्यवहारों, तथ्यों एवं मामलों, जो अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित वांछनीय हो, उसके लिए प्राधिकृत करता है और किसी प्रश्न के समाधान, कठिनाई या संदेह, जो ईक्विटी शेयरों को जारी करने के संबंध में हो सकते हैं और इसके आगे इस तरह के सभी कार्यों, व्यवहारों, तथ्यों एवं मामलों को अंतिम रूप देने एवं सभी प्रलेखों के क्रियान्वयन एवं लिखत जो अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित, वांछनीय एवं समयोचित हो, बिना किसी आगे की सहमति की आवश्यकता के या शेयरधारकों के अनुमोदन या समाप्ति के लिए एवं इस उद्देश्य के लिए कि शेयरधारकों ने ऐसा अनुमोदन दिया होगा के संकल्प के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्राधिकृत हो सकता है।



इसके आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल / समिति एतद द्वारा इसमें प्रदान की गई एक या किसी भी शक्तियों को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यकारी निदेशक(कों) या अन्य अधिकारियों को प्रत्यायुक्त करने हेतु उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते-युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

ह./ -

बिक्रमजित सोम
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 27 दिसम्बर, 2018

स्थान: कोलकाता



टिप्पण एवं अनुदेश

1. यह सूचना उन सभी शेयरधारकों को जिनका नाम भौतिक प्रकार में शेयर रखने वाले लोगों के लिए बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में उल्लिखित है और डीमैट प्रकार में शेयर धारण करने वालों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निपेक्षालय लिमिटेड (एनएसडीएल) और सीडीएसएल से प्राप्त लाभार्थी मालिकों की सूची में, शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 (कट ऑफ तिथि) तक, या तो निपेक्षालय / बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इन्स्टाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बाद में "आरटीए" के रूप में जाना जाता है) के पास पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ईमेल द्वारा या बैंक / आरटीए के साथ पंजीकृत पते पर पंजीकृत पोस्ट / स्पीड पोस्ट / कूरियर द्वारा भेजा जा रहा है। यह सूचना बैंक के वेबसाइट www.unitedbankofindia.com और सीडीएसएल के वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगा। वे व्यक्ति जो कट ऑफ तिथि तक शेयरधारक नहीं हैं, वे इस सूचना को केवल जनकारी के उद्देश्य से प्राप्त समझेंगे।
2. शेयरधारक मतदान के किसी एक प्रकार अर्थात भौतिक बैलट या ई-वोटिंग का चयन कर सकते हैं। यदि शेयरधारक अपना वोट दोनों प्रकार के माध्यम से डालते हैं, तो ई-वोटिंग द्वारा किया गया मतदान मान्य होगा और भौतिक पोस्टल बैलट के माध्यम से किया गया मतदान अमान्य माना जाएगा।
3. शेयरधारक पोस्टल बैलट पर प्रॉक्सी द्वारा अपना मतदान नहीं कर सकते हैं।
4. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर (रॉ) सहित बोर्ड रिजॉल्यूशन / अथॉरिटी लेटर आदि की प्रमाणित सत्य प्रति के साथ संविश्वक को संबोधित संलग्न बिजनेस उत्तर लिफाफा में विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म भेजेंगे जो मतदान देने के लिए प्राधिकृत है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए शेयरधारक इस सूचना में 'ई-वोटिंग' अनुभाग के तहत निर्देश सं. 17 का उल्लेख कर सकते हैं।
5. पोस्टल बैलट और ई-वोटिंग द्वारा मतदान के लिए वोटिंग की पात्रता हेतु निर्धारित कट ऑफ तारीख शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 है। शेयरधारक द्वारा धारित प्रत्येक शेयर कट-ऑफ तिथि तक एक वोट धारण करेगा।
6. एक से अधिक फोलियो / डीमैट खातों वाले शेयरधारकों को प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग-अलग मतदान प्रक्रिया का चयन करना होगा। अधिनियम की धारा 3(2 ई) के संदर्भ में, भारत सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 10% से अधिक वोटिंग अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से अपने वोट का उपयोग करने वाले शेयरधारकों को इस सूचना के साथ संलग्न बिजनेस उत्तर लिफाफा (पोस्टेज भुगतान) का उपयोग करें और इसे पोस्ट द्वारा भेजने से पहले इसे विधिवत सील करें। पोस्टल बैलट फॉर्म वाले मुहरबंद लिफाफे भी स्वीकार किए जाएंगे यदि शेयरधारक की व्यय पर किसी अन्य प्रकार अर्थात कूरियर, स्पीड पोस्ट इत्यादि द्वारा भेजा गया है। भौतिक पोस्टल बैलट फॉर्म में मतदान करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक ई-मेल द्वारा यह सूचना प्राप्त करता है तो वे उक्त फॉर्म को बैंक के वेबसाइट www.unitedbankofindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपनी लागत पर लिंक इन्स्टाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, युनीट: युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सी-101, 247 पार्क, एल. बी. एस. मार्ग, मुम्बई-400 083 पर भेज सकते हैं।
8. पोस्टल बैलट फॉर्म में उचित कॉलम पर टिक मार्क (✓) लगाकर 'मैं/हम संकल्प की सहमति देता हूँ/देते हैं (के लिए)' कॉलम में स्वीकृति या 'मैं/हम संकल्प की असहमति देता हूँ/देते हैं (विरुद्ध)' कॉलम में अस्वीकृति को रिकॉर्ड कर अपनी सहमति प्रदान करें। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त स्वीकृति या अस्वीकृति को वैध नहीं माना जाएगा।



9. आरटीए के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार शेयरधारक द्वारा पोस्टल बैलट फॉर्म पर हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलट फॉर्म को आमिट स्याही से भरे और पेंसिल जैसे मिटने योग्य लेखन माध्यमों का उपयोग न करें।
11. यदि शेयर संयुक्त रूप से धारण किए गए हैं, तो पोस्टल बैलट फॉर्म को प्रथम नामित संयुक्तधारक द्वारा पूर्ण एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) धारक बैंक / आरटीए के पास पंजीकृत पीओए की पंजीकरण संख्या को पोस्टल बैलट फॉर्म पर उल्लेख करते हुए मतदान कर सकते हैं या पीओए की नोटराइज्ड प्रति संलग्न कर सकते हैं।
12. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संविश्वक को संबोधित संलग्न बिजनेस उत्तर लिफाफा के अंदर पूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ कोई भी अन्य दस्तावेज (उल्लिखित बोर्ड के संकल्प / प्राधिकरण पत्रों के अलावा) न भेजें। यदि ऐसे किसी भी लिफाफे में किसी भी असंगत दस्तावेज पाया जाता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और संविश्वक द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाएगा।
13. संयुक्त शेयरधारकों की अधिसंख्या के बावजूद प्रत्येक फोलियो / क्लाइंट आईडी के लिए केवल एक पोस्टल बैलट फॉर्म होगा।
14. पोस्टल बैलट फॉर्म को अमान्य माना जाएगा यदि (i) यह अहस्ताक्षरित / अपूर्ण है (ii) न तो स्वीकृति और न ही अस्वीकृति का उल्लेख किया गया है (iii) सदस्य की स्वीकृति या अस्वीकृति को निसंदेह निर्धारित करना संभव नहीं है (iv) एक सक्षम प्राधिकारी ने शेयरधारक के वोटिंग अधिकारों को अपने पास रखने के लिए बैंक को लिखित निर्देश दिए हैं (v) यह इस तरह से विकृत या विचलित है कि इसकी वास्तविक फॉर्म की पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है; (vi) शेयरधारक ने यहां किए गए संकल्प में कोई संशोधन किया है या अपने मतदान का उपयोग करते समय किसी शर्त को लगाया है; और /या (vii) बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म के अलावा किसी अन्य फॉर्म का उपयोग किया जाता है;
15. एक पूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म की वैधता पर जांचकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।
16. यदि आवश्यक हो तो शेयरधारक, बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, चौथा तल, प्रधान कार्यालय, 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता-700 001 को या ई-मेल investors@unitedbank.co.in पर डुप्लिकेट पोस्टल बैलट फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकते हैं। विधिवत पूर्ण की गई डुप्लिकेट फॉर्म जांचकर्ता तक प्राप्ति की अंतिम तारीख मंगलवार, 5 फरवरी, 2019 को 05:00 बजे अपराह्न तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए।
17. **ई-वोटिंग:**

ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 7 जनवरी, 2019 को 10.00 बजे पूर्वाह्न शुरू होगी और मंगलवार, 5 फरवरी, 2019 को 5.00 बजे अपराह्न समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, जो कट ऑफ तारीख तक भौतिक फॉर्म या डिमैटरियलाइज्ड फॉर्म में शेयरों धारण किए हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। इसके बाद वोट के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु शेयरधारकों के लिए निम्नलिखित अनुदेश हैं :-

 - (i) ई-मतदान के वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन करें।
 - (ii) "शेयरहोल्डर्स / मेम्बर्स" पर क्लिक करें।
 - (iii) अपना यूजर आईडी दर्ज करें।

क. सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों का बेनिफिसरी आईडी



- ख. एनएसडीएल के लिए: 8 अंकों के क्लाइंट आईडी के बाद 8 अक्षर डीपी आईडी
- ग. भौतिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले सदस्य बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नं. दर्ज करें।
- (iv) अब प्रदर्शित हुए **इमेज भेरीफिकेशन** को दर्ज करें और **"लॉगिन"** पर क्लिक करें।
- (v) यदि आप डीमैट फॉर्म में शेयर धारण करते हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगिन करके हाल ही में किसी भी कंपनी/ संस्था के लिए मतदान किया है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
- (vi) यदि आप प्रथम उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें:
उचित बॉक्स में निम्नलिखित विवरणों को भरें:

डीमैट फॉर्म एवं भौतिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पैन की प्रविष्टि करें (भौतिक शेयरधारकों के साथ-साथ डीमैट शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) <ul style="list-style-type: none">जिन सदस्यों ने बैंक / डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करें और पैन फ़िल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें।क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले में शेयरधारक स्पष्ट अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद जितने 0 की प्रविष्टि आवश्यक है उसे दर्ज करें। अर्थात यदि आपका नाम क्रम संख्या 1 के साथ रमेश कुमार है तो पैन फ़िल्ड में RA00000001 प्रविष्टि करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	लॉगिन करने के क्रम में आपके डीमैट खाते या बैंक रिकॉर्ड में किए गए रिकॉर्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) को दर्ज करें। <ul style="list-style-type: none">यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो कृपया अनुदेश (iii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फ़िल्ड में अपनी सदस्यता आईडी/ फोलियो संख्या की प्रविष्टि करें।

- (vii) उचित रूप से इन विवरणों को भरने के बाद **"सबमिट"** टैब पर क्लिक करें।
- (viii) भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयनित स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रियेसन मेन्यु' तक पहुंच जाएंगे जिसमें उन्हें अनिवार्य रूप से नया पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि करने की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि किसी भी अन्य कंपनी /संस्था के संकल्पों के लिए मतदान के लिए डीमैट धारक द्वारा इस पासवर्ड का भी उपयोग किया जाएगा। जिसपर वे मतदान करने के पात्र हैं। बशर्ते कि कंपनी/संस्था सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-मतदान के विकल्प का चयन करता हो। यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड को साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए भरसक प्रयास करें।
- (ix) भौतिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए इस विवरण को केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर रिमोट ई मतदान के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- (x) **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया** को वोट करने हेतु **ईवीएसएन** पर क्लिक करें।
- (xi) मतदान पृष्ठ पर आप **"रिजोल्यूशन डिस्कपेशन"** देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए **"हाँ"** या **"नहीं"** विकल्प होगा। अपने इच्छा अनुसार विकल्प **"हाँ"** या **"नहीं"** का चयन करें। विकल्प **"हाँ"** का तात्पर्य रिजोल्यूशन पर आपकी स्वीकृति और विकल्प **"नहीं"** का तात्पर्य रिजोल्यूशन पर आपकी अस्वीकृति से है।



- (xii) यदि आप पूरे रिजोल्यूशन ब्यौरा को देखना चाहते हैं तो "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- (xiii) रिजोल्यूशन का चयन करने के बाद आप वोट करने का फैसला किया है, तो "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "ओके" पर क्लिक करें और अपने वोट को बदलने के लिए "कैंसल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।
- (xiv) रिजोल्यूशन पर एक बार आप अपना वोट "कनफर्म" कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xv) वोटिंग पृष्ठ पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा किये गये मतदान का प्रिंट आउट ले सकते हैं।
- (xvi) यदि डीमैट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल गए हों तो वह अपना यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करेगा और "फोर्गट पासवर्ड" पर क्लिक करेगा और प्रणाली द्वारा मांगा गया विवरण दर्ज करेगा।
- (xvii) ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड के साथ कुंजीपट्टल पर पांच असफल प्रयासों के बाद अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध 'फोर्गट पासवर्ड' विकल्प पर जाने की आवश्यकता होगी।
- (xviii) आपकी लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड उस कंपनियों द्वारा लाये गए रिजोल्यूशन (ओं) के ई वोटिंग के लिए विशेष रूप से किया जा सकता है, जिनमें आप शेयरधारक हैं।
- (xix) सदस्यगण सीडीएलएस के मोबाइल ऐप "एम वोटिंग" का उपयोग करके भी अपना मतदान कर सकते हैं। एम वोटिंग ऐप को क्रमशः गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और एन्ड्रायड के लिए विंडोज फोन स्टोर, आईओएस और विंडोज उपयोगकर्ता से डाउनलोड किया जा सकता है।
- (xx) गैर व्यक्तिगत सदस्यों और संरक्षकों के लिए टिप्पण
- गैर व्यक्तिगत सदस्यों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और संरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉगिन करने की आवश्यकता होगी और स्वयं को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करेंगे।
 - संस्था के मुहर और हस्ताक्षर वाले पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई मेल किया जाना चाहिए।
 - लॉगिन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद प्रशासनिक लॉगिन तथा पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक अनुपालन यूजर बनाए। अनुपालन यूजर खाता (ओं) को लिंक करने में सक्षम होंगे, जिसपर वे वोट देना चाहते हैं।
 - खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जाएगी और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे।
 - संरक्षक के पक्ष में जारी किए गए बोर्ड संकल्प या पॉवर अटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, तो इसे सत्यापित करने हेतु जांचकर्ता के लिए प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- (xxi) ई वोटिंग और लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने के संबंध में यदि आपके पास कोई मुद्दा /प्रश्न है तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प खंड में उपलब्ध एफएक्वू और ई वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या **18002005533** पर **सीडीएसएल ई वोटिंग हेल्प डेस्क** से संपर्क कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई मेल का सकते हैं या **श्री मलय विश्वास**, क्षेत्रीय प्रमुख, सीडीएसएल, 22 कैमक स्ट्रीट, ब्लॉक ए, प्रथम तल, कोलकाता - 700016 या helpdesk.evoting@cdslindia.com या निवारण हेतु **9073980266** से संपर्क कर सकते हैं।



व्याख्यात्मक विवरण

इस इश्यू का पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

बैंक बैंकिंग एवं संबंधित गतिविधियों के व्यवसाय करता है। वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी 8500 करोड़ रुपये है। 30 सितम्बर, 2018 तक बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 3036.69 करोड़ रुपये थी। जिसमें 2801.49 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा धारित है। बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 92.25% निर्मित करता है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 के कार्यान्वयन के द्वारा बैंक के पात्र कर्मचारियों को 2,92,02,589 इक्विटी शेयर आबंटित कर अब तक 30.81 करोड़ रुपये जुटाए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में उत्तरदायी और जिम्मेदार पीएसबी के लिए सुधार एजेंडा हेतु बैंक की वचनबद्धता के आधार पर, उद्यमीमित्र (एमएसएमई के उद्देश्य से) के रूप में ग्राहक जवाबदेही, बैंकिंग जिम्मेदारी, क्रेडिट ऑफ-टेक, पीएसबी को कवर करते हुए उन्नत पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) के उद्देश्य से, केंद्र सरकार के ब्रांड पीएसबी के लिए कर्मियों के विकास से वित्तीय समावेशन एवं डिजिटलीकरण और परिणाम (एचआर) को सुनिश्चित कर मजबूत बनाने के लिए प्रीमियम सहित रु.18.22/- प्रति शेयर की मूल्य पर प्रति 10/- रुपये की 144,56,64,105 इक्विटी शेयरों का वरीयतापूर्ण आबंटन के एवज में 2634 करोड़ रुपये की राशि लागायी गई है।

पूंजीगत आवश्यकताओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से 31.03.2019 तक जोखिम आधारित आस्तियों को कम कर 58000 करोड़ रुपये से 62000 करोड़ रुपये के बीच रखने के लिए अपने प्रमोटर की सिफारिशों के अनुरूप बैंक के विचारणीय निर्णय को ध्यान में रखते हुए बैंक को आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत रखा गया, बैंक ने अपने आरडब्ल्यूए के स्तर को मार्च 31, 2018 को रु. 63542 करोड़ के स्तर से 30 सितम्बर, 2018 को रु. 58493 करोड़ तक घटाया है। जिसके परिणामस्वरूप बैंक का लोन बुक 31.03.2018 के रु.68692 करोड़ से गिरकर 30.09.2018 को रु. 66830 करोड़ हो गई जिससे लगातार बैंक के परिचालन लाभ पर असर पड़ रहा है। 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त अर्धवार्षिक के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार बैंक ने नियामक बेंचमार्क सीआरएआर 10.875% (सीसीबी सहित) के एवज में बेसल-छ्छ पूंजी मानदंडों के तहत टायर -1 पूंजी अनुपात 5.82% और जोखिम आधारित आस्तियाँ अनुपात (सीआरएआर) के कुल पूंजी 7.82% रिपोर्ट किया है। अर्थव्यवस्था के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में हालिया विकास के संदर्भ में बॉन्ड उपज में वृद्धि, बिजली क्षेत्र में निरंतर दबाव और एनबीएफसी क्षेत्र में हालिया दबाव, वे सभी जिनमें बैंक के पास पर्याप्त एक्सपोजर था, एनसीपी खातों के संदर्भ में फ्रेश स्लिपेज के माइग्रेशन सहित इंसोल्वेंसी एवं बैंकरप्टसी कोडकोड, 2016 के अंतर्गत संकल्पों के लिए एनसीएलटी हेतु अधिक प्रावधान की आवश्यकताएं, मार्च 2019 तक आईएफआरएस लेखांकन मानदंडों में परिवर्तन और बैंक की पूंजीगत आधार को मजबूत करने की आवश्यकता को इसके दीर्घकालिक व्यापार योजनाओं के समर्थन करने और बेसल-छ्छ पूंजी मानदंडों के सभी पारामीटरों को अनुपालन में रखने के लिए बैंक ने केंद्र सरकार से 2,600 करोड़ रुपये की बैंक में कॉमन इक्विटी पूंजी लगाने के लिए अनुरोध किया था जो इसके भविष्य के विकास हेतु प्रोत्साहन के साथ-साथ सुचारुप से परिचालन को सुनिश्चित करेगा।

इसके उत्तर में, भारत सरकार ने अपने पत्र F. No. 7/38/2014-BOA दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 के द्वारा अधिमानी आबंटन के माध्यम से बैंक के कॉमन इक्विटी पूंजी में रु. 2,159 करोड़ तक की पूंजी लगाने की अपनी मंशा को सूचित किया है जिसका उपयोग बैंक द्वारा अपने टायर -1 पूंजी और समस्त सीआरएआर स्थिति को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

ये समस्त अधिमानी इश्यू के अनुपालन के लिए भारत सरकार, बैंक के प्रमोटर को आवंटित किया गया है।

चूंकि समस्त इश्यू को भारत सरकार, बैंक के अधिकतर शेयरधारकों और प्रमोटरों के लिए बनाया जाना है, इस इश्यू के बाद इसके नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।



इस इश्यू मूल्य को इस तिथि तक संशोधित के अनुरूप सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय ३ के तहत विनियमन 164 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इश्यू मूल्य की गणना के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तिथि शुक्रवार, 4 जनवरी, 2019 है (अर्थात विशेष प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से 30 दिन पहले)। चूंकि विशेष प्रस्ताव पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित किया जाएगा, विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म या ई-वोटिंग की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात, मंगलवार, 5 फरवरी, 2019 को तदनुसार इस संकल्प को पारित तारीख समझा जाएगा। इस इश्यू मूल्य की प्रासंगिक तिथि अर्थात शुक्रवार, 4 जनवरी, 2019 पर गणना की जाएगी और इसे अंग्रेजी, बंगाली और हिंदी समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा शेरधारकों के लिए अधिसूचित किया जाएगा और बीएसई लिमिटेड तथा भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को प्रसारित किया जाएगा और बैंक तथा ई-वोटिंग एजेंसी अर्थात सीडीएसएल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

अधिमान्य इश्यू के पहले का शेरहोल्डिंग पैटर्न:

क्र. सं..	श्रेणी	इश्यू के पहले	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारित %
क.	प्रमोटर भारत सरकार	2801496084	92.25
ख.	गैर प्रमोटर लोक धारित शेयर	235194141	7.75
	कुल	3036690225	100.00

इश्यू मूल्य और भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, बैंक के निर्धारण के पश्चात पोस्ट इश्यू शेयरहोल्डर को समाचार पत्र विज्ञापन, स्टॉक एक्सचेंज प्रसार के माध्यम से और बैंक तथा उक्त सीडीएसएल की वेबसाइटों पर अपलोड कर के अधिसूचित किया जाएगा।

सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय v के अनुसार अधिमान्य आबंटन किया जाएगा।

निदेश मंडल ने 31 अक्टूबर, 2018 एवं 14 दिसम्बर, 2018 को आयोजित अपनी बैठकों में पोस्टल बैलट के अधिमान्य आवंटन एवं परिचालन के माध्यम से पूंजी जुटाने हेतु अनुमोदन किया था।

सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 163(1)(ई) एवं विनियम 170 के संदर्भ में, उपर्युक्त विशेष प्रस्ताव के अनुसार में आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। यह हर नियामक प्राधिकरण या केंद्र सरकार से अनुमोदन या अनुमतियों की प्राप्ति के अधीन होगा। यदि इस आबंटन के लिए आवश्यक कोई अनुमोदन लंबित रहता है, तो पंद्रह दिनों की इस अवधि को अनुमोदन या अनुमति की तारीख से गिना जाएगा, जैसा स्थिति हो।

बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों की मूल्य को पुनः गणना करने का प्रयास करता है जहां इसे करने की आवश्यकता होती है। यदि सेबी आईसीडीआर विनियमन में निर्धारित समय के भीतर मूल्य की पुनर्गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियां तब तक लॉकड इन रहेंगी जब तक केंद्र सरकार द्वारा इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

भारत सरकार को आबंटित समस्त इक्विटी शेयरों को डिमैटरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जाएगा।

सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 167(6) के अनुसार, भारत सरकार के समस्त पूर्व-अधिमान्य होल्डिंग्स को वर्तमान अधिमान्य आबंटन के अंतर्गत आबंटित शेयरों के लिए ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 6 माह तक प्रासंगिक तिथि से लॉकड इन कर दिया जाएगा। विनियमन 167 (1) के मामले में, भारत सरकार को आवंटित नये शेयर, वर्तमान अधिमानी आवंटन के तहत आवंटित शेयरों के लिए ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए बंद कर दिया जाएगा जो बैंक की प्रदत्त पूंजी का अधिकतम 20% होगा



और प्रदत्त पूंजी के 20% से अधिक आवंटित किए गए शेयरों को ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष तक के लिए बंद कर दिया जाएगा।

बैंक के इक्विटी शेयरों को छः सप्ताह से अधिक के लिए सूचीबद्ध किया गया है और तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 164 (3) और 167 (5) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

बैंक के इक्विटी शेयरों का अधिकतर कारोबार स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है, जिस पर वे सूचीबद्ध हैं अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड।

सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 163 (2) के तहत आवश्यक लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र संगत तिथि शुक्रवार, 4 जनवरी, 2019 के बाद जारी किया जाएगा और पोस्टल बैलेट के तहत मतदान पूर्ण होने के तिथि तक सभी कार्य दिवसों पर बैंक के प्रधान कार्यालय, 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700001 में 12.00 (अपराह्न) से 04.00 (अपराह्न) के बीच निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक की वेबसाइट - www.unitedbankofindia.com और सीडीएसएल www.evotingindia.com की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्तिकृत रूप में हैं और बैंक, सेबी सूचीबद्ध विनियमन के तहत निर्धारित इक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों के अनुपालन करता है।

भारत सरकार ने संगत तिथि के पूर्ववर्ती 6 महीने के दौरान बैंक के किसी भी इक्विटी शेयर को नहीं बेचा है।

न तो बैंक न ही कोई निदेशक या प्रमोटर ईरादतन चूककर्ता है या भगोड़ा आर्थिक अपराधी है।

सेबी सूचीबद्ध विनियम के विनियमन 41(4) और सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय 3 के मामले में, बैंक अधिमानी आधार पर भारत सरकार से इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित मुद्दे के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी मांगता है। प्रस्तावित विशेष संकल्प, यदि पारित किया गया, तो उल्लिखित निर्गमन (जारी) और आवंटन करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाएगा। इस मुद्दे की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेक पूर्ण अधिकार प्रदान करने की उपर्युक्त समर्थकारी संकल्प की अतएव सिफारिश की जाती है। अतः उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध किया गया है।

अतिरिक्त टिप्पणी:

1. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के संदर्भ में बैंक ने बैंक की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाने हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए भारत सरकार को आवश्यक आवेदन किया है, यदि इस मामले में बैंक की वर्तमान प्राधिकृत पूंजी इस इश्यू के अंतर्गत प्रस्तावित आवंटन से बढ़ जाता है। बैंक एक या अधिक शाखाओं में इस शेयर को आवंटित करेगा, बशर्ते प्राधिकृत पूंजी हेडरूम की उपलब्धता के अधीन होगा।
2. वर्तमान में केंद्र सरकार, बैंक के प्रमोटर बैंक के प्रदत्त शेयर पूंजी का 90% से अधिक इक्विटी शेयर अपने पास धारण करता है और धारण करता रहेगा, जिसे बैंक निश्चित रूप से नीचे लाने का कोशिश करेगा।

बैंक के किसी भी निदेशक या बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, संबद्ध या रुचि, वित्तीय या अन्यथा, उपरोक्त विशेष प्रस्ताव को पारित करने में नहीं रखते हैं, बैंक में उनके शेयरहोल्डिंग, यदि कोई हो, को छोड़कर।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते- युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

दिनांक : 27 दिसम्बर, 2018
स्थान: कोलकाता

ह./ -
बिक्रमजित सोम
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया / United Bank of India

प्रधान कार्यालय: 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता - 700001 / Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata- 700001

दूरभाष / Telephone: (033) 2248 7471 फैक्स/Fax: (033) 2231 1704

वेबसाइट/Website: www.unitedbankofindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Dear Shareholder(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent of Shareholders of United Bank of India (hereinafter referred to as "the Bank") to pass the Special Resolution by way of Postal Ballot including voting by electronic means ("e-voting").

The proposed Special Resolution and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed Shri S N Ananthasubramanian (COP No. 1774) or failing him Smt. Malati Kumar (COP No. 10890) of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, Thane as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

Shareholders desiring to exercise their voting right through Postal Ballot are requested to carefully read the notes and instructions printed in this Notice and in the Postal Ballot Form and return the Postal Ballot Form duly completed in the enclosed Business Reply Envelope addressed to the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. 5.00 P.M., on Tuesday, February 5, 2019. The Bank shall bear the postal charges for the same. Shareholders at their own expenses may select any other modes of sending the physical Postal Ballot Forms.

The Bank is also providing e-voting facility for voting on the Special Resolution using the e-voting platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

Shareholders desiring to opt for e-voting facility are requested to read the notes to the Postal Ballot Notice and instructions given thereunder for e-voting purpose. References to Postal Ballot in this Notice shall include votes received electronically.

The Scrutinizer will submit his report to the Managing Director & Chief Executive Officer ("MD&CEO") or any other Wholetime Director of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of the scrutiny of the Postal Ballots and the result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before Thursday, February 7, 2019 and intimated to the stock exchanges and hosted on the website of the Bank www.unitedbankofindia.com and CDSL.

Voting by Postal Ballot shall commence from Monday, January 7, 2019 and end on Tuesday, February 5, 2019. Duly completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 05:00 P.M. on Tuesday, February 5, 2019 to be eligible for being considered. Postal Ballots received after the aforesaid deadline shall stand rejected. The e-voting portal shall be blocked by CDSL at 05:00 P.M. on Tuesday, February 5, 2019.

The Special Resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on Tuesday, February 5, 2019 i.e. the last date fixed by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot forms and e-voting.